:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 19/22

1. श्री हलु पिता कालु मीणा निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।

वादी

बनाम

1. श्री धना पिता लालजी ढोली।
2. श्रीमती कमला पत्नि धना ढोली।
3. श्रीमती अमृत पत्नि लालजी ढोली।
4. श्रीमती ललिता पिता धना ढोली जाति ढोली निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से।

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गांव डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर के स्थायी निवासी है।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0 होकर स्थित है। जिसमें वादी अपनी खातेदारी आराजी में काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि जब वादी अपने खेतों की सारसंभल करने गये थे कि उसी समय प्रतिवादीगण जबरन वादी की उक्त खातेदारी आराजी में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रूप से जबरन खातेदारी आराजी में प्रवेश कर खेतों को खुर्द बुर्द कर खेतों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को हाल जमाबंदी की नकल दिखाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी आराजी होने के बारे में समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार नहीं हुए और जबरन लडाई झगडा, गाली–गलौच कर मारपीट करने को उतारू हो गए और वादी की वादगस्त आराजी में विवाद कर कहने लगे तुम्हे उक्त आराजी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी को धमकी देने लगे उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे। जिस पर वादी ने दिनांक 04.04.2022 एक प्रार्थना सीमांकन का प्रस्तुत किया गया लेकिन मौके पर विवाद करने से सीमांकन नहीं हो पाया है। जिसके बाद दिनांक 28.06.2022 को टीम द्वारा सीमांकन किया गया है, जिस पर उक्त आराजी का सीमांकन किया गया है जो वादी की जमीन होना साबित होता है इसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झंगडा कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण को रोकने पर नहीं माने और जबरन वादग्रस्त आराजी में विवाद कर जमीन हडपने की धमकी देने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवीदगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164, खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0 में जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावे। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट, प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

वाद वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार ने प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 बाद तामिल उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 अनुपस्थित। दिनांक 26.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र डामोर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रति संख्या 3 की ओर से अंडरटेकिंग पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 पुनः अनुपस्थित होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते जवाब में नियत की गई। दिनांक 13.10.2023 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसकी एक प्रति वकील वादी को दिलाई जाकर एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते तनकीयात में नियत की गई। दिनांक 14.06.2024 को तनकीयात कायम की गई–

तनकी 1– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164, खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0 में जबरन अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावें। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

जिम्मे वादी

तनकी 2– अन्य अनुतोष।

जिम्मे वादी/प्रतिवादीगण

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 01.10.2025 को वकुलाय पक्षकार उपस्थित रहे। वकील प्रतिवादीगण ने पत्राावली में पैरवी नहीं करना चाहा। वकील वादी ने साक्ष्य हेतु पी.डब्ल्यु 1 श्री हलु का शपथ पत्र पेश किया व बयान लेखबद्व करवाये–

PW1- श्री हलु।

प्रदर्श 1– जमाबंदी

प्रदर्श 2– पर्चा मौका दिनांक 24.06.2022

प्रदर्श 3– पर्चा मौका दिनांक 04.05.2022

PW2- श्री गौतमलाल।

साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली बहस में नियत की गइ।

दिनांक 15.10.2025 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0 होकर स्थित है। जिसमें वादी अपनी खातेदारी आराजी में काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। जब वादी अपने खेतों की सारसंभल करने गये थे कि उसी समय प्रतिवादीगण जबरन वादी की उक्त खातेदारी आराजी में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रूप से जबरन खातेदारी आराजी में प्रवेश कर खेतों को खुर्द बुर्द कर खेतों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को हाल जमाबंदी की नकल दिखाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी आराजी होने के बारे में समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार नहीं हुए और जबरन लडाई झगडा, गाली–गलौच कर मारपीट करने को उतारू हो गए और वादी की वादगस्त आराजी में विवाद कर कहने लगे तुम्हे उक्त आराजी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी को धमकी देने लगे उक्त आराजी मे ंतो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे। जिस पर वादी ने दिनांक 04.05.2022 एक प्रार्थना सीमांकन का प्रस्तुत किया गया लेकिन मौके पर विवाद करने से सीमांकन नहीं हो पाया है। जिसके बाद दिनांक 24.06.2022 को टीम द्वारा सीमांकन किया गया है, जिस पर उक्त आराजी का सीमांकन किया गया है जो वादी की जमीन होना साबित होता है इसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झंगडा कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण को रोकने पर नहीं माने और जबरन वादग्रस्त आराजी में विवाद कर जमीन हडपने की धमकी देने लगे। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164, खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0 में जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावे। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट, प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेण्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

वकील वादी की बहस संपन्न हुई। विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तनकीवार यह निर्णय किया जाता है–

तनकी 1– वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी आराजी होने से इसका निर्णय वादी के पक्ष में करना उचित समझता हूँ।

तनकी 2– वादी द्वारा अन्य कोई दाद नहीं चाही गई है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164, खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने

मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें। यह स्थाई निषेधाज्ञा सीमाज्ञान के अधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को सरेईजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)

अज–अदालत :–उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)

बईजलास– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 19/22

दायर दिनांक :– 02.08.2022
निर्णय दिनांक :– 15.10.2025

1. श्री हलु पिता कालु मीणा निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।

वादी

बनाम

1. श्री धना पिता लालजी ढोली।
2. श्रीमती कमला पत्नि धना ढोली।
3. श्रीमती अमृत पत्नि लालजी ढोली।
4. श्रीमती ललिता पिता धना ढोली जाति ढोली निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से।

प्रकरण में डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 164, खसरा नम्बर 1236/962 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4045 है0में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें। यह स्थाई निषेधाज्ञा सीमाज्ञान के अधीन रहेगा।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 15.10.2025 को जारी की गई।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

मुदई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली